

न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या- 21/2023  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/137

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
इन्द्रसिंह पुत्र श्री चालकदान, जाति चारण, निवासी मौखमपुरा, तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।		1. भवानीदान पुत्र श्री कल्याणदान, जाति चारण निवासी मौखमपुरा, तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन। 2. ग्राम पंचायत इन्दोखा जरिये:- (i) सरपंच, ग्राम पंचायत मनाना (ii) ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत मनाना।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम 1994 बनाराजगी ग्राम पंचायत मनाना द्वारा भूमि विक्रय पत्र पत्रावली संख्या निल तारीख निल जो कि ग्राम पंचायत मनाना की सील से भवानीदान दत्तक भैरुदान निवासी, मेकपुरा के पक्ष में सरपंच धापूदेवी द्वारा जारी करना बताया गया है।

उपस्थित:-

1. श्री बलजीत सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 23.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि:-

1. प्रार्थी के दादा चेलदान जी के पांच पुत्र विजयसिंह जी, चालकदान जी, हरीसिंह जी, भैरुसिंह जी व कल्याणसिंह जी थे। अप्रार्थी भवानीदान प्रार्थी के चाचा कल्याणसिंह जी का जायन्दा पुत्र है, प्रार्थी के चाचा श्री भैरुसिंह जी के देहान्त के पश्चात् भवानीदान प्रार्थी के चाचा भैरुसिंह जी की बेवा शोभगकंवर के साथ रह रहा है।
2. ग्राम मौखमपुरा की आबादी में स्थित चारणों की कोटड़ी (पूर्वी) में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के भाईयों व भाईयों के वारिसान कीपैतृक जायदाद मकान, सामुहिक चोक व सामुहिक रास्ता स्थित है प्रार्थी के पश्चिम में प्रार्थी के बड़े पिता विजयसिंह जी के पुत्र रणजीतसिंह के पुत्र करणसिंह के हिस्से का मकान है एवं हम दोनों मकानों के उत्तर में करीब 8 फीट चोड़ा रास्ता व रास्ते के बाद करीब 13 फीट चोड़ा शामलाती रास्ता व चौक तथा अप्रार्थी का मकान स्थित है, रणजीतसिंह के मकान के सामने व अप्रार्थी भवानीदान के मकान के दक्षिणी पश्चिमी कॉनर पर रास्ते में बिजली का खम्बा लगा है जहां पर मौड़ में रास्ते की चौड़ाई करीब 8 फीट ही है। अप्रार्थी के मकान के उत्तर में प्रार्थी के चाचा कल्याणसिंह जी के वारिसान का मकान है, उसके उत्तर में प्रार्थी के चाचा हरीसिंहजी का मकान है जिसमें फतेहसिंह निवास करता है एवं उसके उत्तर में



9  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन

- ठाकुरजी का मन्दिर है, ठाकुर जी के मन्दिर, हरीसिंह जी के मकान, कल्याणसिंह के मकान व अप्रार्थी के मकान के पश्चिम में हम सभी का शामलाती चौक व रास्ता की भूमि है जिसमें हमारा एक शामलाती कमरा (बैठक रूम) बना हुआ है।
3. सन् 1963 में हमारे बंटवारों के सम्बन्ध में एक याददास्त लिखत पारिवारिक बही में लिखी गई थी जिस पर प्रार्थी के पिता व उनके भाईयों के हस्ताक्षर हैं, उक्त बही असल अप्रार्थी भवानीदान के पास है, उक्त बही फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है, उक्त लिखत में विवादित क्षेत्र को शामलाती बताया हुआ है, दिनांक 02.04.1991 को भी एक लिखत विवादित क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखी गई थी जिस पर स्वयं अप्रार्थी भवानीदान व उनके पिता कल्याणदान के हस्ताक्षर हैं, इस लिखत में भी विवादित क्षेत्र को शामलाती व रास्ते की बताया गया है, उक्त असल मेरे सबसे बड़े पिता विजयसिंह जी के पुत्र रणजीतसिंह जी की धर्मपत्नि श्रीमती हंसाकंवर के पास है उसकी फोटो प्रति भी सलग्न है।
4. उपरोक्त पैरा संख्या 2 में अंकित हरिसिंह, कल्याणसिंह जी, अप्रार्थी, प्रार्थी व रणजीतसिंह जी के मकानों वाली जायदाद एवं प्रार्थी व रणजीतसिंह जी के मकानों के उत्तर में स्थित 8 फीट चौड़े रास्ते की भूमि एवं अप्रार्थी तथा कल्याणसिंह जी, हरीसिंह जी के मकानों के पश्चिम की भूमि हमारी पैतृक संयुक्त जायदाद है, इसका विधिवत् बंटवारा नहीं किया गया है लेकिन आपसी सहमति से अन्दाजी रूप से मौके पर विभाजन कर अपने-अपने मकान अलग-अलग बने हुए हैं हमारे पिता / पूर्वजों द्वारा अलग-अलग मकान बनाते समय अप्रार्थी के मकानों के सामने (पश्चिम में) 29 फीट 4 इंच की पूरी लम्बाई में 13 फीट से अधिक चौड़ा शामलाती रास्ता व चौक हेतु भूमि छोड़ी गई थी। अप्रार्थी के मकानों के सामने (पश्चिम में) उत्तरी तरफ अप्रार्थी ने जमीन के भीतर एक पानी का होद बना लिया यद्यपि यह होद गलत बनाया गया है लेकिन उक्त होद पर बनी चबूतरा का उपयोग हम सभी करते हैं एवं उक्त होद के दक्षिण में अप्रार्थी के मकान के निकास के दक्षिण में स्थित शामलाती चौक व रास्ते की 15 फीट x 6 फीट भूमि पर अब अप्रार्थी जबरन पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना चाहता है एवं शामलाती रास्ते व शामलाती चौक की भूमि को हड़प करना चाहता है जबकि विवादित क्षेत्र पक्षकारान के रास्ते व आम चौक के उपयोग हेतु पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा सुरक्षित छोड़ी हुई भूमि है प्रार्थी एवं अन्य इस क्षेत्र का उपयोग आम चौक व रास्ते के रूप में हमेशा हमेशा से करते आ रहे हैं एवं परिवार के उत्सवों में इस जगह का उपयोग करते आ रहे हैं एवं इसमें निर्माण करने अथवा इसका पट्टा अकेले अप्रार्थी के नाम जारी करवाने का कोई अधिकार अप्रार्थी को नहीं है अप्रार्थी की बंट की पश्चिमी सीमा तक अप्रार्थी ने पक्का निर्माण कर मकान व दरवाजा बना रखा है उक्त विवादित क्षेत्र व पानी का होद अप्रार्थी के बंट की मकान की सीमा के बाहर स्थित है। इसके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद, वाद संख्या 22/2013 उनवान इन्द्रसिंह बनाम भवानीदान श्रीमान् सिविल न्यायाधीश मकराना की अदालत में विचाराधीन है।
5. पक्षकारान के रास्ते व आम चौक के उपयोग हेतु पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा सुरक्षित छोड़ी हुई एवं संयुक्त रूप में उपयोग उपभोग में आ रही इस रास्ते की भूमि का पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी ने करीब सन् 1990-91 व 1996 में कार्यवाहियों चुपके-चुपके प्रारम्भ की थी तब प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारों ने अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर दी थी एवं तत्कालिन पंचायत ने अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी नहीं किया।



जिला कलेक्टर  
जयाना-कुचामन

6. कि अप्रार्थी द्वारा पक्षकारान की संयुक्त जायदाद / रास्ते में पक्का अतिक्रमण करने का प्रयास करने व पक्का निर्माण करने का प्रयास करने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी व अप्रार्थी के पुत्रों के विरूद्ध सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी ने एक पट्टे की प्रति प्रस्तुत की व पक्षकारान की संयुक्त जायदाद रास्ते को अप्रार्थी ने अपनी पट्टा सुद जायदाद होने का क्लेम किया उक्त तथाकथित पट्टा अप्रार्थी भवानीदान के नाम पंचायत की पूर्व सरपंच धापूदेवी द्वारा जारी करना बतलाया जा रहा है उक्त पट्टे पर न तो कोई मिसल संख्या है न ही कोई पंचायत का प्रस्ताव है एवं न ही पंचायत ने इस पट्टे को जारी किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अप्रार्थी भवानीदान ने या तो बेंक डेट में पूर्व सरपंच धापूदेवी से हस्ताक्षर करवाकर फर्जी पट्टा बनवाया है या पूर्व सरपंच धापूदेवी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी पट्टा बनाया है इस पट्टे में 724/-रूपये जरिये रसीद संख्या दिनांक 28.12.1998 को जमा करवाना बताया है उक्त पट्टा नियम 266 राज. प. एवं न्याय. उप. सा. नियम 1961 के अन्तर्गत जारी करना बताया गया है अप्रार्थी भवानीदान के नाम जारी पट्टे में भवानीदान के पिता का नाम दत्तक भैरूदान अंकित किया है एवं गांव का नाम मौखमपुरा की बजाय मेकपूरा अंकित किया है एवं ग्राम पंचायत का नाम भी मनाना के स्थान पर मेकपूरा अंकित किया गया है अप्रार्थी भवानीदान उक्त अवैध पट्टे को अपना टाइटल बता रहा है एवं इसके आधार पर हमारी संयुक्त जायदाद पर झूठा क्लेम कर रहा है अतः इस पट्टे से प्रार्थी व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) है। अतः प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित है :-

— : आधार : —

1. उक्त तथाकथित भूमि विक्रेय विलेख गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से जारी अवैध दस्तावेज है उक्त आबादी भूमि का भूमि विक्रेय विलेख राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी करना बताया गया है एवं इस पट्टे में राशि 28.12.1998 को जमा होना दर्शाया है लेकिन दिनांक 28.12.1998 के पूर्व राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत (सामान्य) नियम 1961 निरसित हो चुके थे एवं सन् 1996 में नये नियम आ चुके थे इस तथाकथित भूमि विक्रेय विलेख को जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत (सामान्य) नियम 1961 अथवा राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियमों की पालना भी नहीं की गई है जो कि आज्ञापक (मेन्डेटरी) थी। अर्थात् अप्रार्थी भवानीदान के नाम जारी उक्त भूमि विक्रेय विलेख जारी करने के पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक से प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदन पत्र लिया गया न ही कोई शुल्क लिया गया, न ही भूमि का प्लान बनवाया गया न ही पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पंचायत रजिस्टर में एन्ट्री की गई न ही इस संबंध में कोई पत्रावली खोली गई न ही पंचायत ने कोई रिजोल्यूशन पास किया एवं न ही पंचों से मौका निरीक्षण करवाया न ही पंचायत ने इस संबंध में कोई प्रोविजनल डिसीजन लिया न ही पंचायत द्वारा नियमानुसार नोटिस का पब्लिकेशन किया गया एवं न ही भूमि की निलामी/बेचान किया गया न ही पंचायत में कोई रकम जमा हुई न ही पंचायत को उक्त भूमि का विक्रेय विलेख जारी करने का अधिकार था एवं है अतः मात्र इन्ही आधारों पर उक्त भूमि विक्रेय विलेख काबिले निरस्ती है।



9  
जिला कलेक्टर  
भिलवारा-कुचासन

2. जिस स्थल का भूमि विक्रय विलेख अप्रार्थी बता रहा हैं उक्त विलेख व मौके का नाप मेल नहीं खाता है, रास्ता की भूमि का विक्रय विलेख जारी करने का पंचायत को अधिकार ही नहीं है अतः इस आधार पर भी उक्त तथा कथित भूमि विक्रय विलेख काबिले निरस्ती है।
3. उक्त तथाकथित भूमि विक्रय विलेख का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पर न तो पत्रावली नंबर है, न ही पंचायत के आदेश की दिनांक, आदेश का विवरण आदि ही अंकित है, उक्त तथाकथित दस्तावेज भूमि विक्रय विलेख के सारे कॉलम खाली पड़े है। उक्त तथाकथित भूमि विक्रय विलेख पर नायब सरपंच के भी हस्ताक्षर नहीं है इससे भी स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित भूमि विक्रय विलेख नियमानुसार पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है उक्त दस्तावेज फर्जी है, अवैध है एवं इसे निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
4. प्रार्थी ने तथाकथित भूमि विक्रय विलेख व उसकी पत्रावली की प्रतियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया तो ग्राम पंचायत मनाना ने दिनांक 24.11.2016 को लिखित में सूचित किया कि भवानीदान दत्तक पुत्र भैरूदान के नाम से जारी इस पट्टे व संबंधित मिसल का कोई रिकार्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं यह भी लिखित जवाब दिया कि चारणों की कोटड़ी मौखमपुरा के भूमि संबंधि रिकार्ड व कोटड़ी के जारी पट्टों का वर्णन रिकार्ड पंचायत में नहीं है।
5. अप्रार्थी भवानीदान के नाम जारी उक्त तथाकथित भूमि विक्रय विलेख यद्यपि प्रथम दृष्ट्या फर्जी एवं अवैध दस्तावेज है एवं इसके आधार पर अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन अप्रार्थी उक्त बेनामा (पट्टा) के आधार पर अपना झूठा क्लेम कर रहे है। अतः तथाकथित भूमि विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः निगरानी पेश है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत मनाना की पूर्व तत्कालीन सरपंच श्रीमती धापूदेवी के हस्ताक्षरों से ग्राम पंचायत मनाना की सील से अप्रार्थी के नाम जारी उक्त तथाकथित भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत मेकपूरा पंचायत समिति मकराना मिसल संख्या निल तारीख दायर निल पट्टा संख्या निल जिसकी प्रति इस निगरानी के साथ प्रस्तुत की जा रही है को निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 01 की तरफ से वकील श्री अजीत सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत मनाना के द्वारा दिनांक 28.12.1998 को पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी ने जब ग्राम पंचायत मनाना द्वारा अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाना चाहा तब भी प्रार्थी पक्ष ने अपने पुत्र रामसिंह एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई। जिस पर बी०डी०ओ० मकराना द्वारा मौके पर जाकर मौके की वस्तुस्थिति अनुसार सम्पूर्ण जांच कर मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2013 को प्रस्तुत की। प्रार्थी पक्ष द्वारा पट्टा नहीं बनाने बाबत गांव वालों के हस्ताक्षर करवा कर शिकायत पेश की। तब पंचायत समिति मकराना द्वारा संपूर्ण तथ्यों पर जांच की गई एवं बाद जांच ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया। जांच रिपोर्ट दिनांक 25.04.1997 एवं 17.10.1997 जवाब के साथ प्रस्तुत है। इसके अलावा प्रार्थी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश मकराना में एक वाद 22/2013 प्रस्तुत किया जिसका



जिला कलेक्टर  
झज्जाना-कुचामन

जवाब अप्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 12.09.2013 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व जवाब दावा में उक्त पट्टा का उल्लेख आया हुआ है। जिसकी छाया प्रतियां जवाब के साथ पेश हैं। प्रार्थी को उक्त पट्ट की जानकारी अरसे पहले से थी। इसलिए उक्त निगरानी की मयाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी पेश करते वक्त भी पट्टे की जानकारी कब व कैसे हुई इस बात का उल्लेख उक्त निगरानी में नहीं किया है। इसलिए यह निगरानी मयाद बाहर होने से काबिले निरस्त है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त निगरानी मयाद बाहर होने से खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।


बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी निगरानी में दिये गये तथ्यों को हुबहु दोहराया तथा उक्त पट्टा को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को पट्टे के संबंध में पहले से जानकारी थी। उक्त पट्टा पंचायत समिति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच उपरान्त अप्रार्थी के नाम जारी किया गया है। जो सही है। उक्त निगरानी मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवम मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य विचारनीय बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत मनाना पंचायत समिति मकराना द्वारा जारी किया गया भूमि विक्रय विलेख भवानीदान दत्तक भैरुदान ग्राम मेकपुरा को जारी विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1996 विधि अनुसार जारी किया गया अथवा नहीं।

अप्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को मियाद के बाहर बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायत कानून 1996 की धारा 97(1) के तहत निगरानी के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत R.R.L.2001(1) PAGE 567 एवं माननीय उच्च न्यायालय की नजीरे 2014 DNJ (SC)224(SURJIT KAUR GILL VS ADARSH....) व 2014 (3) DNJ (SC)669 (SATTI PARADESI SAMADHI VS M SANKUNTALA.....) प्रस्तुत की जो लागू होते हैं। अतः मियाद का बिन्दू पर निगरानी खारिज किये जाने का कोई आधार प्रमाणित नहीं होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र की फोटो प्रति जो प्रार्थी/ निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी का अवलोकन किया। इस विक्रय पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत मनाना के हस्ताक्षर हैं तथा इसे राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त भूमि विक्रय विलेख में ग्राम पंचायत मनाना आज्ञा संख्या, पट्टा संख्या, ग्राम पंचायत की संकल्प संख्या एवं दिनांक का कोई अंकन नहीं किया गया है। यह विक्रय पत्र किस तारीख को जारी किया गया था वह कॉलम भी रिक्त है। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा ग्राम पंचायत पदेन सचिव को उक्त निगरानी में रेकर्ड की मूल प्रति यथा पट्टा बुक, प्रस्ताव रजिस्टर, रसीद बुक, प्रकरण से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। जिसके प्रति उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत मनाना द्वारा अपने पत्रांक ग्रामप/2016-17/190, दिनांक 10.03.2017 द्वारा अवगत कराया गया की "प्रकरण



  
जिला कलेक्टर  
डीडवाना-कुचामन

संख्या 01/2017 इन्द्रसिंह बनाम भवानीदान निवासी मौखमपुरा ग्राम पंचायत मनाना से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ है इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि भवानीदान दतक पुत्र भैरूदान निवासी मौखमपुरा के नाम से जारी पट्टे का कोई रिकॉर्ड कार्यालय में नहीं है।”

अप्रार्थी द्वारा भी उक्त विक्रय पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर में अन्य किसी प्रकरण में प्राप्त शिकायत के प्रति उत्तर में की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 25.04.1997 व दिनांक 17.10.1997 के आधार पर पट्टा जारी होने को प्रमाणित मानने का तर्क दिया है। उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 25.04.1997 का अवलोकन किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट में मौके की स्थिति का अंकन किया गया था। न तो इस जांच रिपोर्ट में किसी पट्टे का हवाला दिया गया है और न ही यह जांच रिपोर्ट किस भूखण्ड के लिये की गई है, इसका उल्लेख किया गया है। अतः उक्त जांच रिपोर्ट का इस निगरानी से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है तथा न ही इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पट्टे की प्रमाणिकता को सिद्ध किया जा सकता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के तहत नियम 255 से 266 तक आबादी भूमि के विक्रय के लिए स्पष्ट प्रावधान एवं प्रक्रिया निर्धारित है। जिसके तहत आबादी भूमि विक्रय पर खरीदने वाला व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। विक्रय की जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है, मौका निरीक्षण तैयार किया जाता है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा निलामी के माध्यम से विक्रय की जाती है। जिसकी पुष्टि सक्षम स्तर से कराई जाती है नियम 266 के तहत भी आपसी बातचीत के दौरान आबादी भूमि विक्रय किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया व प्रावधान है।

ग्राम पंचायत के प्रतिउत्तर, अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये जाने से न्यायालय इस स्तर पर पहुंचता है कि प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में सरपंच द्वारा किसी प्रक्रिया की पालना नहीं की है। किसी भी प्रकार का रिकार्ड संस्थित नहीं होना प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणिकता को संदिग्ध बनाता है।


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांक 23.04.1994 को प्रभाव में आ गया था। उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अतः सरपंच ग्राम पंचायत मनाना तहसील मकराना द्वारा हस्ताक्षरित जैर निगरानी पट्टा संख्या NIL पत्रावली क्रमांक NIL दिनांक NIL राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 एवं 1994 के प्रावधानों एवं विहित प्रक्रिया अनुसार नहीं जारी किये जाने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मनाना के द्वारा भवानीदान दतक भैरूदान निवासी मेकपुरा के पक्ष में जारी पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 23.04.2024 को सुनाया गया।



  
(बाल मुकुन्द असावा, IAS )  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन